122

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(Trans)2020/एफसीए/प्रमुवसं/3599 दिनांक 9.12.21

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.122 Ha. of forest land toward proposed Construction of 132 KV S/C Chandhan-Mohangarh Transmission Line in Jaisalmer dist. Rajasthan in favor of Executive Engineer. (T&C) RVPN, 132 KV GSS premises Jodhpur road Jaisalmer Regd- में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के बाबत्। (Proposal No. FP/RJ/TRANS/44263/2020)

संदर्भः–आपका पत्रांक प. 1(67)वन/2021/जयपुर दिनांक 01.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक 7003 दिनांक 09.11.2021 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)

.....P.T.O.

Scanned with CamScanner

6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
7	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोट/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना हेतु 0.50 हैक्टर के लिये 587072 प्रति हैक्टर की दर से राशि रु. 2,93,536/- जरिए UTR No SBIN221307023869 जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न)
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न प्रस्तुत)
9	This proposed transmission Line is crossing perpendicularly the flying way of GIB. Proper mitigation measures for conservation of GIB may be undertaken.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गोडावन के संरक्षण हेतु लाईन बर्ड डायवर्टर/रिफलेक्टर लगाये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
10	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया हैं एवं एफ.आर.ए. मूल संलग्न प्रस्तुत है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submissi Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 10 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन होने पर, पातन किये जाने वाले पौधों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव के लिये [illegible] मण्डल जैसलमेर के अन्तर्गत परिभाषित वनभूमि पर 1 वृक्षों के पातन अनुसार के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रू. 1,13,589/-- जरिए UTR No SBIN221307023869 जमा करवा दी हैं (प्रति संलग्न)।

Scanned with CamScanner

13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वतमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेश अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गइ राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए. तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल जैसलमेर में आने वाले वनक्षेत्र 0.122 हैक्टर के लिये 4,38,000/- प्रति हैक्टर की दर से राशि रु. 53,436/- शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) के रूप में जरिए UTR No SBIN221307023869 जमा करवा दी गई हैं (प्रति संलग्न)।
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आपय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में वढोतरी होती है तो वढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
15	राज्य सरकार द्वारा दी गइ इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिष्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकापित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकापित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिष्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकापित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकापित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। समाचार पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।

Scanned with CamScanner

12.5

17	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनो को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेषों की पालना सुनिष्चित की जावें।	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों पालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित जावेगी। प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है एवं इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(Trans)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 3600-02 दिनांक 9.12.2
प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
2. उप वन संरक्षक, जैसलमेर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, 132 के.वी. जी.एस.एस. जोधपुर रोड, जैसलमेर।

(भवानी सिंह)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner

९५

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/मुवसजो/2020-21/ 7003 दिनांक 09/11/21

निमित,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर

572
10.11.21

विषय : Diversion of 0.122 Ha. of forest land toward proposed Construction of 132 KV S/C Chandhan-Mohangarh Transmission Line in Jaisalmer dist. Rajasthan in favor of Executive Engineer, (T&C) RVPN, 132 KV GSS premises Jodhpur road Jaisalmer Regd-Proposal No. FP/RJ/TRANS/44263/2020 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के बाबत्।

संदर्भः— शासन सचिव (वन) राजस्थान सरकार वन विभाग का आदेश कमांक प. 1 (67) वन/2021 दिनांक 01-11-2021 एवं उप वन संरक्षक, जैसलमेर का पत्रांक 6768 दिनांकः 08-11-2021

७५/C

महोदय,

(FCA) 10/11/21

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन मंत्रालय, जयपुर के संदर्भित आदेश के द्वारा शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी कर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट चाही गई थी जिसके क्रम में उप वन संरक्षक, जैसलमेर द्वारा संदर्भित पत्र के द्वारा अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उप वन संरक्षक, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु 2 सेट में श्रीमान को सादर प्रस्तुत हैः—

क्र.सं.	शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
4	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्ररतुत)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
7	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोट/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना हेतु 0.50 हैक्टर के लिये 587072 प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 2,93,536 जरिए UTR No SBIN221307023869 जमा करवा दी गई हैं। ((प्रति संलग्न)

Scanned with CamScanner

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
9	This proposed transmission Line is crossing perpendicularly the flying way of GIB. Proper mitigation measures for conservation of GIB may be undertaken.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गोडावन के संरक्षण हेतु लाईन बर्ड डायवर्टर/रिफ्लेक्टर लगाये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
10	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया हैं एवं एफ.आर.ए. मूल संलग्न प्रस्तुत है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submissi Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 10 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन होने पर, पातन किये जाने वाले पौधों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव के लिये वन मण्डल जैसलमेर के अन्तर्गत परिभ्रांषित वनभूमि पर 1 वृक्षों के पातन अनुसार के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रू. 1,18,589 जरिए UTR No SBIN221307023869 जमा करवा दी हैं (प्रति संलग्न)।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वतमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेश अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गइ राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल जैसलमेर में आने वाले वनक्षेत्र 0.122 हैक्टर के लिये 4,38,000 प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 53,436 शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) के रूप में जरिए UTR No SBIN221307023869 जमा करवा दी गई हैं (प्रति संलग्न)।
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
15	राज्य सरकार द्वारा दी गइ इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।(संलग्न प्रस्तुत)
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की

Scanned with CamScanner

	जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। समाचार पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।
7	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्ट लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्ट लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।

ग्न:– उपरोक्तानुसार–03 प्रतियों में अनुपालना

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

दिनांक :

ांक एफ ( ) तकनिकी/उवसं/2021–22/
ालिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक, जैसलमेर
2. अधिशाषी अभियन्ता 132 के.वी. जीएसएस जोधपुर रोड जैसलमेर।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScann

कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर

क्रमांक एफ ( ) तकनिकी/उवसं/2021-22/6768 दिनांक : 08/11/2021

प्रेषित,

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

विषय :- Diversion of 0.122 Ha. of forest land toward proposed Construction of 132 KV S/C Chandhan-Mohangarh Transmission Line in Jaisalmer dist. Rajasthan in favor of Executive Engineer, (T&C) RVPN, 132 KV GSS premises Jodhpur road Jaisalmer Regd-Proposal No. FP/RJ/ TRANS/44263/2020 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के बाबत्।

प्रसंग :- शासन सचिव (वन) राजस्थान सरकार वन विभाग का आदेश कमांक प. 1 (67) वन/2021 दिनांक 01-11-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 132 के.वी एस./सी. चांधन से मोहनगढ ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 0.122 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जैसलमेर वन मण्डल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की वन पट्टी में सम्मिलित वनभूमि 0.122 हैक्टर वनभूमि एवं 1 वृक्ष के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार प्रदान की गई है। इस कम में इस कार्यालय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता 132 के.वी. जीएसएस जोधपुर रोड जैसलमेर को पत्र कमांक 6761 दिनांक 03.11.2021 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की पालना की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शर्तो की पालना कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की हैं :-

क.सं.	शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति हैं एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति हैं एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को

Scanned with CamScanner

	क्षति न हो।	क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
7	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोट/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।	छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना हेतु 0.50 हैक्टर के लिये 587072 प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 2,93,536 जमा करवा दी हैं (प्रति संलग्न)।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
9	This proposed transmission Line is crossing perpendicularly the flying way of GIB. Proper mitigation measures for conservation of GIB may be undertaken.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गोडावन के संरक्षण हेतु लाईन बर्ड डायवर्टर/रिफ्लेक्टर लगाये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
10	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	सक्षम स्तर से एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया हैं एवं प्रतिलिपी संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submissi Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 10 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन होने पर, पातन किये जाने वाले पौधों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव के लिये वन मण्डल जैसलमेर के अन्तर्गत परिभ्राषित वनभूमि पर 1 वृक्षों के पातन अनुसार के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रू. 1,18,589 जमा करवा दी हैं (प्रति संलग्न)।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वतमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेश अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमें जमा की गइ राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वन मण्डल जैसलमेर में आने वाले वनक्षेत्र 0.122 हैक्टर के लिये 4,38,000 प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 53,436 शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) के रूप में जमा करवा दी हैं (प्रति संलग्न)।

Scanned with CamScanner

14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गइ इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। समाचार पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।
17	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्ट लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्ट लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित हैं।

99

सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तो की पालना करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध हैं (प्रति संलग्न)। अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं। कृपया विधिवत् स्वीकृति जारी करने का श्रम फरमावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जी.के.वर्मा)
IFS
उप वन संरक्षक
जैसलमेर
दिनांक :

क्रमांक एफ ( ) तकनिकी/उवसं/2021–22/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता 132 के.वी. जीएसएस जोधपुर रोड जैसलमेर।

उप वन संरक्षक
जैसलमेर

Scanned with CamScanner